

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : प० नं० ७०२/२०१६ धा.गि.म.म. बनाम जयपुर

कार्यवाही / आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10-1-18	<p>पञ्चावली केस हुई ककुनाप फर्दकेन उपस्थित। पञ्चाल गैर-निगारानी फर्द दस्तावेजात केस की। शामिल मिलल रहे। पञ्चाल सुनी गई। वाले आदेश पञ्चावली दिनांक 31-1-2018 के केस हो।</p> <p style="text-align: right;"><b>जयपुर (जिला)</b> जयपुर</p>	
31-1-18	<p>पञ्चावली केस हुई ककुनाप फर्दकेन उपस्थित। निगारानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अफीनल्ल न्यायालय की आज्ञा दि० 31-3-1991 के इसके अनुसार में जारी किया गया किप किलेव दिनांक 17-6-1991 निरस्त किया जाता है प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया जाता है। विस्तृत किपि पृथक से लिखा जाकर शामिल मिलल किया गया। पञ्चावली फर्दल शुमार होकर दर्ज नम्बर है कम है। निर्णय सेर इजलास ककुनाप गया।</p> <p style="text-align: right;"><b>जयपुर (जिला)</b> जयपुर</p>	

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),  
जयपुर।

पंचायत निगरानी संख्या : 02/2016

धासीलाल पुत्र श्री रामकरण, जाति-जाट, निवासी-ग्राम माधोराजपुरा,  
तहसील-फागी, जिला-जयपुर।

निगरानीकर्ता,

बनाम

जगदीश पुत्र बालूराम, जाति-जाट, निवासी-ग्राम माधोराजपुरा, तहसील-  
फागी, जिला-जयपुर।

गैर-निगरानीकर्ता,

( पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राज0 पंचायती राज  
अधिनियम, 1994 विरुद्ध आज्ञा दिनांक 31.03.1991 बमिसल  
सं0 125/90 x 91 दायर दिनांक 21.11.1980 प्रार्थना पत्र  
जगदीश प्रसाद पुत्र बालू जाट, माधोराजपुरा बाबत् पड़त  
जमीन कब्जाशुदा को नजराने पर देने जिसकी अनुपालना  
में आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 17.06.1991 को  
जगदीश पुत्र श्री बालूराम निवासी-माधोराजपुरा के हक में  
भू-खण्ड सं0 "ख" सरपंच, ग्राम पंचायत माधोराजपुरा द्वारा  
जारी किया गया हैं )

उपस्थिति:-

1. श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल, अभिभाषक, निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री हरलाल सिंह, अभिभाषक, गैर-निगरानीकर्ता की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 31.01.2018

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत-माधोराजपुरा ने  
अपने फैसला दिनांक 31.03.1991 द्वारा भू-खण्ड सं0 "ख" 166 2/3  
वर्गगज का नजराना राशि 30/- रू0 प्रति वर्गगज की दर से 5000/-रू0  
में जरिये निलामी विक्रय करने का निर्णय लिया हैं, जिसके अनुसरण में  
विक्रय विलेख दिनांक 17.06.1991 को निष्पादित किया गया हैं, से व्यथित  
होकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ हैं।

उक्त आशय का निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली  
दर्ज रजिस्टर की जाकर, नोटिस गैर-निगरानीकर्ता जारी किए गये व  
मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय-पक्षों की बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता के विद्वान्  
अभिभाषक श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल का कथन हैं कि निगरानी अधीन  
आज्ञा दिनांक 31.03.1991 ग्राम पंचायत-माधोराजपुरा व इसके अनुसरण में



*(Handwritten signature)*

जारी किया गया विक्रय विलेख दिनांक 17.06.1991 विधि-विधान एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। गैर-निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत में गलत तथ्य प्रस्तुत कर बाला-बाला बिना नियमों की प्रक्रिया अपनाये अवैध रूप से निगरानीकर्ता के पूर्वजो से कब्जेशुदा बाडा/भू-खण्ड का पट्टा प्राप्त किया है। जो निगरानीकर्ता के कब्जेशुदा भू-खण्ड का गैर-निगरानीकर्ता को पट्टा दिया गया है वह निगरानीकर्ता को बिना सुनवाई का नोटिस/अवसर दिये जारी किया गया है, अतः निगरानीकर्ता का पुराना कब्जा होने के बावजूद निगरानीकर्ता के हितों की अनदेखी कर नीलामी की गुप्त-चुप में कार्यवाही कर पट्टा जारी किया गया है जो अवैध होने से निरस्तनीय हैं। गैर-निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत-माधोराजपुरा में दिनांक 21.10.1980 को कब्जेशुदा भूमि में बाड़े के लिए पक्की दीवार तामीर करने हेतु पट्टे हेतु आवेदन किया है। इसके साथ में कोई नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 10.01.1981 को मौका देखने हेतु पंचों को नियुक्त किया गया है और लगभग 10 वर्ष पश्चात् दिनांक 12.06.1990 को प्रार्थी जगदीश को पंचायत द्वारा तलब करने की आज्ञा दी गई है जिसकी पालना में जगदीश दिनांक 21.06.1990 को उपस्थित हुआ है। तत्पश्चात् पंचों को मौका देखने हेतु नियुक्त किया है। पंचों ने दिनांक 11.09.1990 को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें भूमि को पड़त सरकारी जमीन बताया है परन्तु कब्जे की रिपोर्ट नहीं की है। आपत्ति नोटिस दिनांक 11.09.1990 को जारी किया जाना जाहिर किया है परन्तु वास्तव में कोई नोटिस जारी ही नहीं हुआ। आपत्ति नोटिस अवधि में जगदीश द्वारा भी किसी प्रकार की कोई प्रार्थना आदि नहीं की है बल्कि 2 माह पश्चात् नीलामी के लिए यह कहते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वह 79 x 40 की बोली लगाने में असमर्थ है। इस भूमि में 40 x 37 भूमि ही लेना चाहता है। जगदीश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि इस भू-खण्ड पर जगदीश का कदापि कब्जा नहीं रहा है और मात्र निगरानीकर्ता के कब्जेशुदा भू-खण्ड को खुरद-बुर्द करने की गरज से बाला-बाला इकतरफा कार्यवाही की गई है जबकि वादग्रस्त भू-खण्ड पर निगरानीकर्ता का पूर्वजो से अरसे-दराज से कब्जा है। वादग्रस्त भू-खण्ड पर निगरानीकर्ता का आज भी बदस्तूर कब्जा चला आ रहा है। ग्राम पंचायत-माधोराजपुरा द्वारा बाला-बाला की गई नीलामी की कार्यवाही व जारी किये गये पट्टे की जानकारी निगरानीकर्ता को पूर्व में नहीं थी परन्तु हाल ही में फौजदारी प्रकरण में पुलिस उपाधीक्षक



द्वारा मौके की रिपोर्ट चाही जाने पर पंचों द्वारा दिनांक 07.09.2015 को मौका रिपोर्ट किये जाने पर निगरानीकर्ता को जाहिर हुआ कि निगरानीकर्ता के कब्जाशुदा भू-खण्ड का बाला-बाला गैर-निगरानीकर्ता ने पट्टा ले लिया है जबकि दिनांक 07.09.2015 को मौके पर वार्ड पंच विनोद टेलर, रामावतार शर्मा उपसरपंच, श्रीमती अनिता सैनी वार्ड पंच द्वारा किये गये मौका निरीक्षण में मौके पर विवादित स्थल पर निगरानीकर्ता धासी पुत्र रामकरण, जाति-जाट, निवासी-माधोराजपुरा का पूर्वजो से कब्जा होना पाया है व इसका उपयोग बाड़े के रूप में किया जाना अपने रिपोर्ट में जाहिर की है जिसमें मौके पर पशुओं को बाधने हेतु टीनशैड का निर्माण किया हुआ तथा रोड़ी ईंधन की लकड़ियां तथा पत्थर डले हुए होना अंकित किया है। इस मौका रिपोर्ट से स्पष्ट जाहिर है कि वादग्रस्त स्थल पर आज भी निगरानीकर्ता का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है और जो गैर-निगरानीकर्ता को निलामी की कार्यवाही कर विक्रय विलेख जारी किया गया है। वह मात्र काल्पनिक कागजी कार्यवाही की गई है। अतः यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा सारी कार्यवाही आपसी मिलीभगत से बाला-बाला की गई है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। अतः निगरानी प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत की आज्ञा दिनांक 31.03.1991 व इसके अनुसरण में जारी किया गया विक्रय विलेख दिनांक 17.06.1991 बहक जगदीश पुत्र बालूराम निरस्त फरमाया जावे।

गैर-निगरानीकर्ता के विद्वान् अभिभाषय श्री हरलाल सिंह का कथन है कि ग्राम पंचायत की आज्ञा दिनांक 31.03.1991 व इसके अनुसरण में जारी किया गया विक्रय विलेख दिनांक 17.06.1991 विधि-विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप वैध रूप से जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा लिये गये निर्णय में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम के सभी प्रावधानों की पालना की गई है। वैध रूप से जारी किये गये विक्रय विलेख की अत्यधिक विलम्ब से निगरानी की गई है। निगरानीकर्ता ने बिना किसी हक व अधिकार के निगरानी पेश की है जबकि निगरानीकर्ता का निगरानी अधीन पट्टेशुदा भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है। मौके पर वादग्रस्त भूमि पर निगरानीकर्ता का अतिक्रमण रहा है परन्तु निलामी से पूर्व इस अतिक्रमण को ग्राम पंचायत द्वारा हटाने का निर्णय लिया है। निगरानीकर्ता के भाई धन्ना ने इसी भू-खण्ड के संबंध में पंचायत समिति में अपील की है जो दिनांक 27.02.1992 को पंचायत समिति-फागी के निर्णय द्वारा खारिज



की गई हैं। वादग्रस्त भू-खण्ड हेतु नियमानुसार आवेदन किया गया है। पंचों के द्वारा मौका देखा गया है। आपत्ति नोटिस जारी किया गया है कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मत से निलामी का निर्णय लिया गया है। निलामी का नोटिस जारी किया गया है और खुले रूप से निलामी की कार्यवाही की जाकर वैध रूप से भू-खण्ड बैचान किया गया है। निगरानीकर्ता को निलामी की समस्त कार्यवाही की जानकारी रही है परन्तु अब एक लम्बे अरसे-दराज के बाद बिना किसी अधिकार के निगरानी प्रस्तुत की है। वादग्रस्त भू-खण्ड के संबध में निगरानीकर्ता द्वारा सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा है जहां से अधिकारो की धोषणा होगी। ऐसी स्थिति में निगरानी सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय-पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि वादग्रस्त भू-खण्ड हेतु गैर-निगरानीकर्ता ने दिनांक 21.10.1980 को यह कथन करते हुए आवेदन किया है कि उसकी कब्जेशुदा भूमि में बाड़े के लिए चारदीवारी बनाने के लिए पट्टा दिया जावे। इस प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत होने पर दिनांक 10.01.1981 को पंचायत द्वारा मौका रिपोर्ट हेतु पंचों को नियुक्त किया है परन्तु लगभग 10 वर्ष तक कोई कार्यवाही न कर दिनांक 12.06.1990 को सीधे ही प्रार्थी जगदीश को नोटिस जारी किया गया है और दिनांक 11.09.1990 को पंचों ने मौका देखकर वादग्रस्त भूमि को पड़त जमीन सरकारी होना जाहिर किया है। प्रार्थी जगदीश ने दिनांक 21.11.1990 को पंचायत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वह 79 x 40 के लिए आवेदन किया था परन्तु वह सम्पूर्ण भूमि की बोली लगाने में असमर्थ हैं। इसलिए 40 x 37 भूमि के दो हिस्से कर बोली लगाने की आज्ञा दी जावे। जगदीश के प्रार्थना पत्र व पंचों की रिपोर्ट दिनांक 11.09.1990 से यह तो स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर गैर-निगरानीकर्ता का कभी कब्जा नहीं रहा है। गैर-निगरानीकर्ता के विद्वान् अभिभाषक द्वारा वरवक्त बहस कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि के संबध में पूर्व में अपील की गई थी जो खारिज की जा चुकी है। पंचायत समिति-फागी के निर्णय दिनांक 27.02.1992 के अवलोकन से जाहिर होता है कि पंचायत समिति-फागी ने अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि पंचायत द्वारा 125/90 x 91 के द्वारा बेची गई भूमि बिल्कुल पृथक है। इस भूखण्ड से अपीलान्ट् धन्ना पुत्र रामकरण का किसी प्रकार से कोई संबध नहीं है।




*(Handwritten signature)*

विचारण प्रकरण में धन्ना द्वारा निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई हैं और यह तथ्य पंचायत समिति के निर्णय में स्पष्ट अंकित हैं कि धन्ना द्वारा पंचायत समिति में की गई अपील से पत्रावली सं० 125/90 x 91 में अंकित बेची गई भूमि बिल्कुल पृथक हैं। अपीलान्त धन्ना का इस भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है। अतः गैर-निगरानीकर्ता के विद्वान् अभिभाषक का यह कथन कि पंचायत समिति-फागी से पूर्व में अपील खारिज की जा चुकी हैं, सारहीन पाते हैं। अलबत्ता निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत-माधोराजपुरा के पंचों द्वारा की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 07.09.2015 से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भू-खण्ड पर निगरानीकर्ता का कब्जा रहा है, जिसमें पंचों ने रिपोर्ट की है कि विवादित स्थल पर धासी पुत्र रामकरण, जाति-जाट, निवासी-माधोराजपुरा का पूर्वजो से कब्जा चला आ रहा है तथा इसका उपयोग/उपभोग करते आ रहे हैं। मौके पर श्री धासी पुत्र रामकरण जाट, निवासी-माधोराजपुरा द्वारा इसका उपयोग बाड़े के रूप में किया जा रहा है। अपने पशुओं को बाधने वास्ते टीनशैड का निर्माण किया हुआ है तथा रोड़ी, ईधन की लकड़िया तथा पत्थर डालकर इसका उपयोग करते आ रहे हैं। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर निगरानीकर्ता का कब्जा रहा है और उसे नियमानुसार बिना बेदखल किये अथवा सुनवाई साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही भूमि विक्रय का निर्णय लिया जाकर विक्रय विलेख जारी किया गया है जो अवैध होने से निरस्तनीय हैं। निगरानी के लिए नियमों में समय-सीमा बाधित नहीं है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 31.03.1991 व इसके अनुसरण में जारी किया गया विक्रय विलेख दिनांक 17.06.1991 निरस्त किया जाता है और प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ ग्राम पंचायत-माधोराजपुरा को रिमाण्ड किया जाता है कि कब्जे की जांच कर उभय-पक्षों को सुनवाई साक्ष्य का पुनः नोटिस/समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर न्याय-संगत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
( सुनील भाटी )  
श्री. कलक्टर (द्वितीय)  
जयपुर